सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/DEV-1500/JH/4/2023-ESDW** दिनांक: **19.07.2024**

सेवा में,

श्री चन्दन कुमार सिन्हा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला – रांची,
झारखंड पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, जिला – रांची,
झारखण्ड – 834004
ई मेल: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in
फोन नं. 0651- 2200237

विषय: आदिवासियों के धार्मिक व् सांस्कृतिक स्थल पर दबंगों द्वारा कब्ज़ा करने तथा पुलिस द्वारा मदद करने के बजाय आदिवासियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने के संबंध में श्री कलुवा कच्छप, उपाध्यक्ष, ग्राम सभा, बारा घागरा, कुसई, पोस्ट व थाना दोरंडा, जिला-रांची, झारखंड का दिनांक 13.03.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 12.04.2023.
संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.05.2024.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 26.07.2024 को पूर्वाह्न 11:20 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: **researchofficer-esdw@ncst.nic.in**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।